न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 22 / 2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
रवि राठौड पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों की पोल खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है प्रार्थी का घर का नाम रविन्द्रसिंह है जबकि प्रार्थी का आधार काड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैक डायरी, पैनकार्ड, प्रार्थी की स्कूल की अंकतालिका सेकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका, प्रार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पास पोर्ट, बैक खाता , जनआधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम रवि राठौड है प्रार्थी रविन्द्रसिंह राठौड पुत्र गजेसिंह व रवि राठौड पुत्र गजेसिंह दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है रविन्द्रसिंह राठौड व रवि राठौड दोनो नाम प्रार्थी के ही है तथा दोनों एक ही व्यक्ति है प्रार्थी को ग्राम खारिया मीठापुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 1067 में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1537 हैक्टयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.4369 हैक्टयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.4854 हैक्टयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3721 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.6310 हैक्टयर, खाता संख्या 213 में खसरा नम्बर 103 रकबा 21.6812 हैक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी की है जिसमें खाता संख्या 1067 की भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 213 की भूमि में प्रार्थी का 1/36 वां हिस्सा है। जिसमें ... का नाम रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:02 IST
Reason: SelfAttested

लिख हुआ है जिसके स्थान पर प्रार्थी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैक डायरी, पैनकार्ड, प्रार्थी की स्कूल की अंकतालिका सेकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका, प्रार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पास पोर्ट, बैक खाता , जनआधार कार्ड के अनुसार अपना नाम रवि राठौड पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ग्राम खारिया मीठापुर में स्थित अपनी स्वयं की उपरोक्त सयुंक्त खातेदारी की भूमि में अपना वास्तविक नाम रवि राठौड दर्ज करवाना चाहता है चूकि पार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में रवि राठौड के स्थान पर प्रार्थी के घर का नाम रविन्द्रसिंह राठौड दर्ज होने से पता अभी हाल ही लोन के लिये जमाबन्दी नकले लेने पर पहली बार चला।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम उपरवर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि में रविन्द्रसिंह राठौड के स्थान पर प्रार्थी के दस्तावेजात के आधार पर रवि राठौड पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता सं. 1067 व 213 में क्रमशः 2.2166 हैक्टयर में से 1/4 हिस्सा व 24.3752 हैक्टयर में 1/36 हिस्सा ग्राम खारिया मीठापुर में आई हुई है। वादी का नाम खातेदारी भूमि में रवीन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह दर्ज है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम रवि राठौड पुत्र गजेंसिह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सैकण्डरी अंकतालिका, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इत्यादि पेश किये जिसमें नाम रवि राठौड है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट में रवि राठौड व रविन्द्रसिंह को एक ही व्यक्ति बताया है। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम रवि राठौड करवाना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खारिया मीठापुर के खाता सं. 1067 व 213 में रवीन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड पुत्र गजेसिंह किया जाता है तो भूमिधारी (तहसीलदार बिलाडा) से कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड , प्रदर्श 2 पहचान पत्र, प्रदर्श 3 भामाशाह कार्ड, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 5 बैंक डायरी, प्रदर्श 6 पैन कार्ड, प्रदर्श 7 स्कूल अंकतालिका मा.शिक्षा बोर्ड अजमेर, प्रदर्श 8 मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रदर्श 9 जाति प्रमाण पत्र, प्रदर्श 10 पुलिस सत्यापन, प्रदर्श 11 ड्राईविंग लाईसेन्स, प्र[illegible] जनआधार कार्ड आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:02 IST
Reason: SelfAttested

इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रवि राठौड पुत्र गजेसिंह दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम से दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खाता संख्या 1067 में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1537 हैक्टयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.4369 हैक्टयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.4854 हैक्टयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3721 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.6310 हैक्टयर, खाता संख्या 213 में खसरा नम्बर 103 रकबा 21.6812 हैक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार रविन्द्रसिंह राठौड पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड पुत्र गजेसिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खाता संख्या 1067 में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1537 हैक्टयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.4369 हैक्टयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.4854 हैक्टयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.3721 हैक्टयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.6310 हैक्टयर, खाता संख्या 213 में खसरा नम्बर 103 रकबा 21.6812 हैक्टयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार रविन्द्रसिंह राठौड पत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड पुत्र गजेसिंह दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:02 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:02 IST
Reason: SelfAttested